पंकजेश्वर शर्मा एवं अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3904-3905/2020)

03 दिसम्बर, 2020

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता तथा अजय रस्तोगी, न्यायाधीशगण]

सेवा विधि - अनियमित नियुक्तियाँ - नकारात्मक समानता - द्वितीय उत्तरदाता-पुलिस महानिदेशक ने राज्य में पुलिस उपनिरीक्षक (कार्यपालिका) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। द्वितीय उत्तरदाता ने अपनी समझ के आधार पर प्रान्तवार चयन सूची प्रकाशित कर दी। प्रथम चरण के वाद में असफल अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में एक नई पुनर्निर्धारित राज्य-स्तरीय मेरिट सूची अधिसूचित की गई, जिसके आधार पर 259 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई तथा 47 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। द्वितीय चरण के वाद में पद से वंचित किए गए अभ्यर्थियों ने पुनर्निर्धारित राज्य-स्तरीय सूची को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जो अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में मेरिट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उक्त आदेश को बेदख़ल अभ्यर्थियों द्वारा विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई। विशेष अनुमति याचिका में कुल 22 अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रतिवेशन हेतु विभिन्न अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किए गए। उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों के पारस्परिक विवाद का परीक्षण किए बिना तथा राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन को उसके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करते हुए सभी 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों तथा 22 प्रतिवेशन किए गए अभ्यर्थियों को पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर समायोजित कर दिया। तृतीय

चरण के वाद में वे अभ्यर्थी, जो उक्त 22 अभ्यर्थियों की अपेक्षा पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में उच्च स्थान पर थे, ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की कि रिट-याचिकाकर्ताओं को निष्पक्ष विचार का उनका वैध अधिकार नहीं दिया गया, जबकि वे पुनर्निर्धारित सूची में 22 अभ्यर्थियों से उच्च स्थान पर थे। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि रिट-याचिकाकर्ताओं को उनके मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति हेतु निष्पक्ष विचार का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि 22 अभ्यर्थियों की नियुक्ति विधिसम्मत नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लंघन करती है। निर्णीत : नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई चयन सूची के अनुसार सख्ती से मेरिट क्रम में की जानी चाहिए और इसके विपरीत की गई कोई भी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी, इस अपवाद के साथ कि यदि असाधारण परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार मेरिट सूची से विचलन करते हुए नियुक्तियाँ की जाती हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ जहाँ लंबित वाद-विवाद के कारण तथा चल रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से बाद में चयन भी किया गया, तो ऐसे विचलन को अनुमोदित नहीं किया जा सकता। ऐसी नियुक्तियाँ अनियमित हैं और उन्हें अवैध नियुक्ति नहीं माना जा सकता। साथ ही, यदि कोई नियुक्ति अवैध अथवा अनियमित रूप से की गई हो, तो उसे आगे की नियुक्तियों का आधार नहीं बनाया जा सकता तथा एक त्रुटिपूर्ण निर्णय को सार्वजनिक हित या समाज के एक बड़े वर्ग के हित के प्रतिकूल आगे की त्रुटि को स्थायी बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता। वर्तमान मामले में 22 अभ्यर्थियों ने 12 वर्ष की

क *सेवा पूरी कर ली है और क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय 22 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय का यह तर्क कि नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थीं,*
ख *अनुमोदित नहीं किया जाता।*

अपीलों को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि: 1. यह सेवा विधि का स्थापित सिद्धांत है तथा इस न्यायालय द्वारा निरंतर अनुसरण
ग **किया गया है कि राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं या किसी पद-श्रेणी के लिए निर्धारित भर्ती नियमों का राज्य द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थियों का चयन भर्ती नियमों की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए और नियुक्तियाँ उसी के अनुरूप की जानी चाहिए। साथ ही, भर्ती नियमों में निर्धारित**
घ **प्रक्रिया का कठोर अनुपालन करने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके विपरीत, यदि विधि द्वारा ज्ञात भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार कर कोई नियुक्ति की जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। इस न्यायालय ने**
ङ ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजकुमार शर्मा और अन्य* तथा तत्पश्चात *अरूप दास और अन्य असम राज्य और अन्य* में विज्ञापित रिक्तियों से अधिक पदों को भरने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक पदों को भरना संविधान के अनुच्छेद 14**
च **और 16 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का अधिकारस्वरूप दावा नहीं कर सकते। इस न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि कुछ मामलों में नियुक्तियाँ त्रुटिवश या भूलवश की गई**
छ **हों, तो उससे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता। यदि राज्य या उसकी किसी प्राधिकरण ने किसी चरण पर कोई त्रुटि की है, तो उसे**
ज **संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट**

अधिकारिता के माध्यम से उस त्रुटि को आगे बढ़ाने के लिए क
बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में, जहाँ असाधारण परिस्थितियों में विज्ञापित पदों से अधिक पद भरे गए हों, तो अतिरिक्त नियुक्तियों को निरस्त करने के स्थान पर, प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार राज्य के हित तथा लोकसेवा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के हितों के मध्य न्यायोचित ख
संतुलन स्थापित करते हुए उपयुक्त राहत प्रदान की जा सकती है; जिसके लिए कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता। [पैरा 24][210-एफ-एच; 211-ए-डी]

2. अपीलकर्ताओं के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ग
यह भी निवेदन किया गया कि वे मेरिट क्रम में उन 22 अभ्यर्थियों से उच्च स्थान पर हैं, जिन्हें द्वितीय उत्तरदाता द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश का सहारा लेते हुए नियुक्त किया गया था, अतः ऐसी नियुक्तियाँ विधिसम्मत नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घ
करती हैं। प्रथम दृष्टया यह निवेदन आकर्षक प्रतीत होता है, किन्तु इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कारण यह है कि सामान्यतः नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई चयन सूची के अनुसार मेरिट क्रम में ही की जानी चाहिए, जैसा ङ
कि प्रासंगिक वैधानिक भर्ती नियमों में अपेक्षित है, और इसके विपरीत की गई कोई भी नियुक्ति वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी। तथापि, यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि असाधारण परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार मेरिट सूची से विचलन करते हुए नियुक्तियाँ की च
जाती हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ जहाँ वाद-विवाद लंबित था और चल रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से बाद में चयन भी किया गया, तो सिद्धांततः ऐसी नियुक्तियों को यह न्यायालय अनुमोदित नहीं कर सकता। फिर भी ऐसी छ
नियुक्तियाँ अनियमित नियुक्तियाँ हैं और उन्हें अपीलकर्ताओं के दावे के अनुसार अवैध नियुक्तियाँ नहीं माना जा सकता। [पैरा 33][214-एफ-एच; 215-ए-बी]

ज

क **3. यह भी अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है कि वे दिनांक 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के संदर्भ में द्वितीय उत्तरदाता द्वारा प्रकाशित मेरिट क्रम में उन 22 अभ्यर्थियों में सम्मिलित हैं जो नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि अपीलकर्ताओं की दलील को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए,**
ख **जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की है, तब भी वर्तमान अपीलकर्ता उन 22 अभ्यर्थियों से आगे नहीं बढ़ सकते जो मेरिट क्रम में प्रतीक्षारत थे और जो सामान्य परिस्थितियों में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति का दावा कर सकते थे। राज्य द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में**
ग **अभिलिखित रियायत प्रदान करने की कार्रवाई यदि वास्तव में एक त्रुटि थी भी, तो भी किसी कथित रूप से पीड़ित व्यक्ति के आग्रह पर उस त्रुटि को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। [पैरा 34][215-बी-डी]**

घ **4. इस न्यायालय ने *भारत संघ और अन्य बनाम कार्तिक चंद्र मंडल और अन्य* में यह अवलोकन किया कि यदि कोई कार्य त्रुटिवश किया गया हो या उस पर त्रुटिपूर्ण रूप से कार्यवाही की गई हो, तो वह आगे किसी और अवैधता को बनाए**
ङ **रखने का आधार नहीं बन सकता। यदि कोई नियुक्ति अवैध या अनियमित रूप से की गई है, तो उसे आगे की नियुक्तियों का आधार नहीं बनाया जा सकता और एक त्रुटिपूर्ण निर्णय को सार्वजनिक हित या समाज के एक बड़े वर्ग के हितों के प्रतिकूल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह इस न्यायालय**
च **का निरंतर अपनाया गया दृष्टिकोण रहा है। [पैरा 35][215-डी-ई]**

5. *अरूप दास और अन्य बनाम असम राज्य और*
छ ***अन्य* में *इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि "यदि कुछ मामलों में नियुक्तियाँ भूलवश या त्रुटिपूर्ण रूप से की गई हों, तो उससे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक***

ज

समानता की परिकल्पना नहीं करता और यदि राज्य ने कोई त्रुटि की है, तो उसे उस त्रुटि को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।" [पैरा 36][215-ई-एफ] क

6. यह निर्विवाद है कि जब यह न्यायालय इस मामले का निर्णय करने के लिए विचार कर रहा है, तब तक वे तथाकथित 22 अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा विवाद उठाया गया है, लगभग 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्र में समृद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2001 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में पुलिस उपनिरीक्षक के पद के लिए पश्चात चयन भी किया जा चुका है। इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत, उस समय की परिस्थितियों में, दीर्घ समय से न्यायालयों में लंबित वाद-प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य से, प्रथम दृष्टया सद्भावना में प्रतीत होती है। उस समय न्यायालय में कोई अन्य वाद भी लंबित नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय उन 22 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसे वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ताओं/अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई है। [पैरा 37][215-जी-एच; 216-ए-सी] ख ग घ ङ

7. इस न्यायालय का यह भी मत है कि द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के आदेशों के माध्यम से की गई 22 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ, जिनसे आगे वाद-प्रक्रिया उत्पन्न हुई, अनियमित नियुक्तियाँ हैं और भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं हैं। तथापि, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए, तो उससे राज्य-उत्तरदाता द्वारा की गई अवैधता को आगे बढ़ाने का परिणाम होगा, और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आगे की अवैधता को बनाए रखने के लिए नकारात्मक समानता का दावा नहीं किया जा सकता। [पैरा 40][216-ई-एफ] च छ

ज

अरूप दास एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य ***(2012) 5 एस.सी.सी. 559 : [2012] 1 एस.सी.आर. 445*** **- पर निर्भर।** *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजकुमार शर्मा और अन्य* **(2006) 3 एस सी सी 330 : [2006] 2 एससीआर 877;** *सुरिंदर कुमार शर्मा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य,* **16 अक्टूबर, 2000 को निर्णीत;** *भारत संघ और एक अन्य बनाम कार्तिक चंद्र मंडल और अन्य* **(2010) 2 एस सी सी 422 : [2010] 1 एससीआर 1099;** *गुजरात राज्य उप कार्यपालक अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य* **(1994) परिशिष्ट 2 एस.सी.सी. 591 : [1994] 3 एससीआर 983;** *बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अभय कुमार* **(2001) 3 एस सी सी 328 : [2001] 2 एससीआर 18 - संदर्भित।**

<u>निर्णयजन्य विधि संदर्भ</u>

[2006] 2 एससीआर 877	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 24**
[2012] 1 एससीआर 445	**पर निर्भर**	**अनुच्छेद 24**
[2010] 1 एससीआर 1099	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 35**
[1994] 3 एससीआर 983	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 38**
[2001] 2 एससीआर 18	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 39**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 3904-3905/2020.

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू की खंडपीठ द्वारा एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 2/2011 एवं एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 4/2011 में दिनांक 20.03.2013 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

साथ में

सिविल अपील सं. 3923-3929, 3911-3917, 3910, 3932-3933, 3918, 3921-3922, 3934, 3930-3931, 3919, 3920, 3908-3909, 3907/2020.

परमजीत सिंह पतवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता; राजशेखर राव; कोटला हर्षवर्धन; क्षितिज महेश्वरी; अभिनव

मुखर्जी; सुश्री रेनु गुप्ता; सुश्री दीक्षा राय; सुमित सिंह; नवयुग सेठी; पी. डी. शर्मा; राजीव शर्मा; अनुप कुमार; मिश्र सौरभ; अर्जुन गर्ग; सुश्री रति टंडन; सुश्री शशि जुनेजा; एम. शोएब आलम; सतीश पांडेय; अनुपम रैना; सुनंदो राणा; तथा सुश्री पूर्णिमा भट, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त किया गया–

रस्तोगी, न्यायाधीश

वर्तमान अपीलों का यह समूह असफल अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जो जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 02/2011 एवं एलपीए संख्या 04/2011 में दिनांक 20 मार्च, 2013 को पारित विवादित निर्णय से असंतुष्ट हैं। साथ ही, दिनांक 12 मार्च, 2013 को पारित अपने निर्णय पर निर्भर करते हुए, संबंधित एलपीए को भी बाद के चरण में निस्तारित किया गया।

2. इस मामले का इतिहास जटिल रहा है और अपीलकर्ताओं की शिकायत को समझने के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि तथ्यों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। यह उसी चयन प्रक्रिया से उत्पन्न वाद-प्रक्रिया का तीसरा चरण है, जो द्वितीय उत्तरदाता–पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को जारी विज्ञापन (सं. पर्स./रेक्ट./एस.आई./ईएक्स.-99/ए-405) के अनुसरण में आयोजित की गई थी। इस विज्ञापन द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह पद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस (कार्यकारी) नियमों की अनुसूची में सम्मिलित है और नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुली चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाना था।

3. निर्विवाद रूप से, न तो नियमों की योजना में और न ही विज्ञापन सूचना में यह प्रावधान था कि लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची

क जम्मू तथा कश्मीर प्रांतों के लिए पृथक रूप से तैयार की
जाएगी। अभिलेख से यह प्रकट होता है कि जम्मू प्रांत से
अंतिम चयनित अभ्यर्थी ने 56 अंक प्राप्त किए थे, जबकि
कश्मीर प्रांत में अंतिम चयनित अभ्यर्थी ने 50 अंक प्राप्त किए
थे। द्वितीय उत्तरदाता ने अपनी स्वयं की धारणा के आधार
ख पर कुल 252 अभ्यर्थियों की प्रांतवार चयन सूची (अर्थात् जम्मू
तथा श्रीनगर के लिए पृथक रूप से) दिनांक 23 अप्रैल, 2000
को प्रकाशित कर दी।

वाद-प्रक्रिया का प्रथम चरण

ग 4. असफल अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को चुनौती
देते हुए एसडब्ल्यूपी संख्या 567/2000[1] दायर की, जिसमें
अन्य आधारों के साथ यह तर्क दिया गया कि प्रांतवार तैयार
की गई चयन सूची विधिसम्मत नहीं है और इसे जम्मू एवं
कश्मीर राज्य के लिए एक संयुक्त चयन सूची के रूप में तैयार
घ किया जाना चाहिए था, क्योंकि पुलिस उपनिरीक्षक का पद
राज्य-स्तरीय संवर्ग का पद है। अतः चयन राज्य को एक इकाई
मानकर किया जाना चाहिए था, न कि जम्मू एवं कश्मीर प्रांतों
के अभ्यर्थियों के निवास के आधार पर।

ङ

5. रिट याचिकाकर्ता अपने तर्कों में सफल रहे और
माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के
निर्णय एवं आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए
निर्देश दिया कि राज्य (जम्मू एवं कश्मीर) के लिए चयन सूची
पुनः तैयार की जाए तथा संशोधित चयन सूची में 50 या उससे
च अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, पहले से की गई
नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना, नियुक्ति के लिए विचार
किया जाए। माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध
राज्य-उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष
छ एलपीए दायर की। खंडपीठ ने दिनांक 19 अगस्त, 2002 के
अपने निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश में
संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि मेरिट सूची राज्य-स्तर पर

ज

[1]*सुरिंदर कुमार शर्मा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य।*

पुनः तैयार की जाए और यदि पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में वे अभ्यर्थी, जो पहले से चयनित/नियुक्त हैं, मेरिट क्षेत्र में आते हैं, तो उनकी नियुक्तियों को प्रभावित न किया जाए; किंतु उनकी वरिष्ठता अंतिम रूप से तैयार की जाने वाली मेरिट सूची में उनके स्थान के अनुसार निर्धारित की जाएगी। खंडपीठ के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के उक्त आदेश को एसएलपी (सिविल) संख्या 24798/2002 में चुनौती दी गई, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 10 फरवरी, 2004 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया।

6. खंडपीठ के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के आदेश के अनुपालन में द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 19 मई, 2004 को एक नवीन राज्य-स्तरीय पुनर्निर्धारित मेरिट सूची अधिसूचित की गई, जिसके अंतर्गत 259 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई और साथ ही 47 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ निरस्त कर दी गईं, जो पहले से सेवा में थे, क्योंकि उनके नाम राज्य-स्तर पर तैयार संशोधित मेरिट सूची में सम्मिलित नहीं थे।

वाद-प्रक्रिया का द्वितीय चरण

7. बेदख़ल अभ्यर्थियों ने पुनर्निर्धारित राज्य-स्तरीय मेरिट सूची दिनांक 19 मई, 2004 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 24 मई, 2004 के आदेश द्वारा अंतरिम निर्देश जारी करते हुए ऐसे बेदख़ल अभ्यर्थियों को अगली सुनवाई की तिथि तक सेवा में जारी रहने की अनुमति दी। इसी बीच, खंडपीठ के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण द्वितीय उत्तरदाता के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही, अर्थात् सीओए (एलपीएएसडब्ल्यू) संख्या 22/2004, प्रारंभ की गई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 03 दिसंबर, 2004 के आदेश द्वारा अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि– *"जो अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में*

क *मेरिट क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें सेवा में जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यदि कोई ऐसा व्यक्ति सेवा में जारी है, तो उसे दिनांक 19.05.2004 के आदेश के अनुसार हटा दिया जाएगा।"*

ख 8. उक्त आदेश को 44 बेदख़ल अभ्यर्थियों द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से चुनौती दी गई, जिन्हें खंडपीठ द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2004 के आदेश के तहत सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया था। लंबित विशेष अनुमति याचिका में कुल 22 अभ्यर्थियों द्वारा पक्षकार बनाए ग जाने हेतु विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए, जिसे बाद में सिविल अपील संख्या 4758/2006 में परिवर्तित कर दिया गया। इस न्यायालय ने दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश द्वारा, पक्षकारों के मध्य विवाद की गहन जाँच किए बिना तथा राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन घ को स्वीकार करते हुए, यह निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 03 दिसंबर, 2004 के आदेश के परिणामस्वरूप सेवा से बाहर होने वाले सभी 47 अभ्यर्थियों तथा इस न्यायालय के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन दायर करने वाले 22 ङ अभ्यर्थियों को पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। अपील का निस्तारण निम्नलिखित आदेश के साथ किया गया–

> "श्री अल्ताफ एच. नायक, माननीय महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वे सभी 47 याचिकाकर्ता जो उच्च च न्यायालय के विवादित आदेश के परिणामस्वरूप सेवा से बाहर होने वाले हैं तथा यहाँ के 22 उत्तरदाता, सभी को पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वे सभी 47 छ याचिकाकर्ता, जो विवादित चयन के कारण चयनित हुए थे और वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें अपने पदों पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। माननीय महाधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के दृष्टिगत, ज हमें इस मामले में किसी विधिक प्रश्न का निर्णय

> करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता। क
> परिणामस्वरूप, माननीय महाधिवक्ता के उक्त कथन के आधार पर अपील का निस्तारण किया जाता है।”

9. 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जो पूर्व में ख
मेरिट क्रम में थे किंतु उच्च न्यायालय के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के आदेश के अनुपालन में पुनर्निर्धारित मेरिट सूची के कारण स्थान नहीं पा सके, द्वितीय उत्तरदाता ने दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के आदेशों द्वारा 22 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी। अभिलेख से यह स्पष्ट है ग
कि ये 22 अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में काफी नीचे थे और उनके मेरिट क्रम की स्थिति इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई थी, जिससे आगे वाद-प्रक्रिया उत्पन्न हुई।

वाद-प्रक्रिया का तृतीय चरण घ

10. कुछ ऐसे अभ्यर्थी, जो उक्त 22 अभ्यर्थियों की तुलना में मेरिट क्रम में उच्च थे, जिन्हें द्वितीय उत्तरदाता ने दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के आदेशों द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश के ङ
कथित अनुपालन में नियुक्त किया था, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एसडब्ल्यूपी संख्या 1084/2008 तथा एसडब्ल्यूपी संख्या 1145/2008 के रूप में रिट याचिकाएँ दायर कीं। उनका यह तर्क था कि पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में उच्च होने के बावजूद उन्हें निष्पक्ष विचार का वैध अधिकार नहीं दिया गया, च
जबकि उनसे कम मेरिट वाले 22 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया, जो वैधानिक नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान अवसर के अधिकार का भी हनन है।

छ

11. अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में जिन 22 अभ्यर्थियों का उल्लेख किया गया था, उनमें से अधिकांश उन अभ्यर्थियों/रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में मेरिट क्रम में ज

क नीचे थे, जो अपने मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति हेतु
समान एवं निष्पक्ष अवसर का दावा कर रहे थे। माननीय एकल
न्यायाधीश ने दिनांक 26 अगस्त, 2010 के आदेश द्वारा रिट
याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया कि राज्य के
माननीय महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत के आधार पर की
ख गई कोई भी नियुक्ति, मेरिट क्रम में उच्च रिट याचिकाकर्ताओं
के वैध दावे को प्रभावित नहीं कर सकती और उन्हें अपने मेरिट
क्रम के आधार पर नियुक्ति हेतु निष्पक्ष विचार का अधिकार
है। इस आदेश के विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उच्च
न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एलपीए संख्या 02/2011 तथा
ग संबंधित अपीलें दायर की गईं।

12. इन अपीलों के समूह का निस्तारण उच्च
न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 12 मार्च, 2013 के निर्णय
द्वारा किया, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 26
घ अगस्त, 2010 के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। उक्त
निर्णय पर निर्भर करते हुए, अन्य संबंधित अपीलों का भी बाद
में खंडपीठ द्वारा निस्तारण किया गया, जिसे वर्तमान अपीलों
में हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

ङ

13. अपीलकर्ताओं की ओर से माननीय वरिष्ठ
अधिवक्ता श्री परमजीत सिंह पतवालिया ने प्रस्तुत किया कि
इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में केवल
राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत का
उल्लेख किया गया था और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह
च मानते हुए कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत
पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया
गया था, उसका पूर्णतः गलत अर्थ लगाया है तथा यह कहना
कि उसे किसी अन्य कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती,
छ विधिसम्मत नहीं है।

14. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया
कि 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के अनुसरण में तैयार
पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में जिन 22 व्यक्तियों का कहीं स्थान
ज

नहीं था, उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इससे अपीलकर्ताओं के उस वैध अधिकार का हनन हुआ, जिसके अनुसार वे पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में उच्च स्थान पर होने के कारण नियुक्ति हेतु निष्पक्ष विचार के अधिकारी थे। अतः इन 22 व्यक्तियों की नियुक्तियाँ न केवल वैधानिक भर्ती नियमों के उल्लंघन में हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती हैं और इसलिए अस्थिर तथा नियमों से परे हैं।

15. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विलंब या लापरवाही का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनमें से कुछ ने चयन प्रक्रिया को वर्ष 2000 में ही चुनौती दी थी। किंतु वे मुख्यतः उस समय प्रभावित हुए जब राज्य-उत्तरदाता ने दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के आदेशों द्वारा 22 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की, जबकि उनका नाम राज्य-उत्तरदाता द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के निर्णय के अनुपालन में तैयार पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में कहीं भी नहीं था। अतः इन परिस्थितियों में उन्हें तटस्थ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि खंडपीठ ने विवादित फैसले में कहा है।

16. अपीलकर्ताओं की ओर से माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि वर्तमान कार्यवाही में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित निर्णय को चुनौती देने वाले कुल 26 अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिनमें से 10 अपीलकर्ता वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं, 9 विभिन्न सरकारी विभागों में सेवा कर रहे हैं तथा केवल 7 अपीलकर्ता ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। यदि अपीलकर्ताओं की दलीलों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और उनसे कम मेरिट वाले व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में सेवा में बने रहने दिया जाता है, तो

इससे अपीलकर्ताओं को मानसिक पीड़ा एवं असंतोष होगा और उनके साथ हो रहे अन्याय को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इससे उत्तरदाताओं पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपीलकर्ता किसी प्रकार के बकाया वेतन का दावा नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी पुलिस उपनिरीक्षक के 100 से अधिक पद रिक्त हैं और वर्तमान अपीलकर्ताओं को भी दिनांक 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के अनुसरण में नियुक्त किए गए उन 22 अभ्यर्थियों को प्रभावित किए बिना समायोजित किया जा सकता है।

17. एसएलपी (सिविल) संख्या 34564/2014 में अपीलकर्ता फरवरी, 2001 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित पश्चात चयन प्रक्रिया में पुलिस उपनिरीक्षक के पद के लिए चयनित हुआ था और दिनांक 01 फरवरी, 2002 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके अनुसार यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो वह 23 अप्रैल, 2000 से वरिष्ठता तथा उससे संबंधित लाभों का अधिकारी होगा और इससे उत्तरदाताओं द्वारा 47 तथा 22 व्यक्तियों की की गई नियुक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके संबंध में वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ताओं ने शिकायत उठाई है।

18. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से माननीय अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि पुनर्निर्धारित मेरिट सूची प्रकाशित होने के पश्चात जिन 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों की सेवाएँ समाप्त की गई थीं, उन्हें प्रारंभ में उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में जारी रहने की अनुमति दी गई थी। वाद-प्रक्रिया के दौरान ये 47 बेदख़ल अभ्यर्थी वर्ष 2000 में अपनी नियुक्ति से लेकर निरंतर विभाग में कार्य करते रहे और विभाग ने उनके प्रशिक्षण आदि पर भारी व्यय किया। इसके अतिरिक्त, इन 47

अभ्यर्थियों ने राज्य में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में भी भाग लिया और उनके जीवन के लिए खतरे की आशंका भी थी। राज्य उन्हें सेवा में बनाए रखना चाहता था और जब पूर्व चरण की वाद-प्रक्रिया में यह मामला दिनांक 10 मई, 2007 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, तब इन कठिनाइयों को न्यायालय के समक्ष रखा गया। उस समय यह भी स्वीकार किया गया कि यदि इन 47 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ सुरक्षित रखी जाती हैं, तो 22 रिक्त पद उपलब्ध हैं और ये 22 अभ्यर्थी न केवल पक्षकार बन चुके थे बल्कि वर्ष 2000 से वाद-प्रक्रिया में भी संलग्न थे। इन परिस्थितियों में, पिछले आठ वर्षों से लंबित वाद-प्रक्रिया को समाप्त करने तथा फरवरी, 2001 के विज्ञापन के अनुसरण में पुलिस उपनिरीक्षक के पद हेतु हुए पश्चात चयन को ध्यान में रखते हुए, यह उचित समझा गया कि विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों के साथ इन 22 अभ्यर्थियों को भी समायोजित कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा यह कथन सद्भावना में इस आशा के साथ किया गया कि इससे वर्ष 1999 से लंबित चयनित अभ्यर्थियों के मध्य चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा।

19. माननीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं का यह भी दावा नहीं है कि वे पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में नियुक्ति के लिए विचार से वंचित किए गए शीर्ष 22 अभ्यर्थियों में आते हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पुनर्निर्धारित चयन सूची, जो प्रथम चरण की वाद-प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तैयार की गई थी, में वर्तमान अपीलकर्ताओं से अधिक मेरिट वाले कई अभ्यर्थी हैं। जिन अभ्यर्थियों के साथ वर्तमान अपीलकर्ताओं का विवाद है, उनकी नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी और वे 12 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं। यदि अपीलकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाए कि नियुक्तियाँ पुनर्निर्धारित मेरिट सूची के क्रम में ही की जानी चाहिए थीं, तो विवादित

22 रिक्तियों के संबंध में भी अधिकांश अपीलकर्ताओं का नाम नियुक्ति के लिए विचार की पंक्ति में नहीं आएगा, क्योंकि वे पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में शीर्ष 22 अभ्यर्थियों में सम्मिलित नहीं हैं। इन विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में की गई टिप्पणियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. हमने पक्षकारों के माननीय अधिवक्ताओं को सुना तथा उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

21. दुर्भाग्यवश, द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को पुलिस उपनिरीक्षक के पद के लिए जारी विज्ञापन, जिसमें यह शर्त थी कि अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 1999 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंतिम रूप से समाप्त नहीं हो सका है। हम उन अभ्यर्थियों के मध्य विवाद पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और जो इस आशा में कि उन्हें अभी भी नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, अब 43-47 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे।

22. वाद-प्रक्रिया के प्रथम चरण में जब प्रारंभिक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या जम्मू एवं कश्मीर में प्रांतवार मेरिट सूची तैयार की जा सकती थी और क्या यह नियमों की योजना के अनुरूप था, तब माननीय एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह अवलोकन किया कि जिन अभ्यर्थियों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें प्रांतवार चयन के आधार पर मनमाने ढंग से उपेक्षित किया गया है। वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, उनके दावे को वर्ष 2000 में प्रारंभिक कार्यवाही में विचार के लिए खुला छोड़ा गया। बाद के चरण में द्वितीय चरण की वाद-प्रक्रिया में जो विवाद पुनः न्यायालय के समक्ष आया, वह मुख्यतः उन अभ्यर्थियों तक सीमित था जिन्होंने दिनांक 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के अनुसरण

में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे।

23. अभिलेख से स्पष्ट निर्विवाद तथ्य यह है कि द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1999 को पुलिस उपनिरीक्षक के पद हेतु चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और वर्तमान अपीलों का यह समूह उन अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है जो पुनर्निर्धारित मेरिट सूची में उन 22 अभ्यर्थियों की तुलना में उच्च स्थान पर थे, जिन्हें द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत के आधार पर नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ताओं का यह दावा है कि उन्हें नियुक्ति के लिए निष्पक्ष विचार से वंचित किया गया है।

24. यह सेवा विधि का स्थापित सिद्धांत है तथा इस न्यायालय द्वारा निरंतर अनुसरण किया गया है कि राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं या किसी पद-श्रेणी के लिए निर्धारित भर्ती नियमों का राज्य द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थियों का चयन भर्ती नियमों की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए और नियुक्तियाँ उसी के अनुरूप की जानी चाहिए। साथ ही, भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का कठोर अनुपालन करने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके विपरीत, यदि विधि द्वारा ज्ञात भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार कर कोई नियुक्ति की जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगी। इस न्यायालय ने *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजकुमार शर्मा और अन्य*[2] और बाद में *अरूप दास और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य*[3] में विज्ञापित रिक्तियों से अधिक पदों को भरने के प्रश्न पर विचार

---

[2] *उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राजकुमार शर्मा एवं अन्य (2006) 3 एस.सी.सी. 330*

[3] *अरूप दास एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य (2012) 5 एस.सी.सी. 559*

क करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक पदों को भरना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का अधिकारस्वरूप दावा नहीं कर
ख सकते। इस न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि कुछ मामलों में नियुक्तियाँ त्रुटिवश या भूलवश की गई हों, तो उससे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता। यदि राज्य
ग या उसकी किसी प्राधिकरण ने किसी चरण पर कोई त्रुटि की है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के माध्यम से उस त्रुटि को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति
घ में, जहाँ असाधारण परिस्थितियों में विज्ञापित पदों से अधिक पद भरे गए हों, तो अतिरिक्त नियुक्तियों को निरस्त करने के स्थान पर प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार राज्य के हित तथा लोकसेवा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के हितों के मध्य न्यायोचित संतुलन स्थापित करते हुए उपयुक्त
ङ राहत प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता।

25. प्रारम्भ में जब वर्ष 2000 में चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, तब विवाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25
च फरवरी, 1999 के सामान्य विज्ञापन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर प्रांतों के लिए दो पृथक मेरिट सूचियाँ तैयार करने के नीति-निर्णय से संबंधित था। यह निर्णय नियमों की योजना के प्रत्यक्ष उल्लंघन में था और उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह अवलोकन किया कि चूँकि
छ जम्मू एवं कश्मीर प्रांतों के लिए अंकों की सीमा अलग-अलग थी और अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक दोनों प्रांतों में 50 थे, इसलिए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा विचारित विवाद सीमित रूप से उन्हीं व्यक्तियों/अभ्यर्थियों तक
ज सीमित था जिन्होंने चयन प्रक्रिया में 50 या उससे अधिक अंक

प्राप्त किए थे, किन्तु फिर भी उन्हें नियुक्ति के लिए विचार क
से वंचित रखा गया था।

26. इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा *सुरिंदर कुमार शर्मा बनाम* ख
जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य[4] जिसका निर्णय 16 अक्टूबर, 2000 को हुआ था, अर्थात् वाद-विवाद के प्रथम चरण में, यह अवलोकन किया गया था। विवाद का केंद्र निम्नलिखित रूप में यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जाता है:–

> "अतः जिन अभ्यर्थियों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए ग
> हैं, उन्हें यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें प्रांतवार चयन के आधार पर गलत ढंग से अनदेखा किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके दावों पर इस निर्णय के घ
> आलोक में विचार किया जाएगा।"

27. प्रारम्भ में ही जिन अभ्यर्थियों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए थे, उनके नियुक्ति हेतु विचार के दावे को माननीय एकल न्यायाधीश ने समाप्त कर दिया था। यह उस समय किया गया जब वर्ष 2000 में द्वितीय उत्तरदाता द्वारा चयन ङ
सूची अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा विवाद उठाया गया था। यदि किसी अभ्यर्थी ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे और उसे नियुक्ति हेतु निष्पक्ष विचार से वंचित रखा गया था, तो उस समय उसे कारण-ए-कार्यवाही प्राप्त हो गया था, जब माननीय एकल न्यायाधीश ने च
दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 के निर्णय द्वारा राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार किया जाए जिन्होंने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यदि उन्हें नियुक्ति के लिए विचार से वंचित किया छ
गया हो। यद्यपि बाद में इस आदेश में उच्च न्यायालय की

---

[4] *एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 576/2000, शीर्षक सुरिंदर कुमार शर्मा बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य*

ज

खंडपीठ द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2002 के निर्णय में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम चरण की वाद-प्रक्रिया में 47 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। बाद का विवाद मुख्यतः इन 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों के भविष्य के परीक्षण तक सीमित रहा, जिन्हें पुनर्निर्धारित राज्य-स्तरीय मेरिट सूची में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों से अतिरिक्त होते हुए भी, सेवा में कुछ समय तक कार्य करने के कारण न्यायालय से राहत प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ।

28. आगे की वाद-प्रक्रिया इन 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों के आग्रह पर प्रारम्भ हुई। अभिलेख से स्पष्ट है कि उन्हें प्रारम्भ में अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि वे काफी समय से कार्य कर रहे थे। अंततः द्वितीय चरण की वाद-प्रक्रिया में उनका विवाद इस न्यायालय तक पहुँचा। उस समय तक काफी समय बीत चुका था और ये 47 बेदख़ल अभ्यर्थी वर्ष 2000 से निरंतर कार्य कर रहे थे। विभाग ने उनके प्रशिक्षण पर भारी व्यय किया था तथा उन्होंने राज्य में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में भी भाग लिया था। राज्य को उनके जीवन के लिए संभावित खतरे की भी आशंका थी। इन परिस्थितियों में राज्य ने उन्हें सेवा में बनाए रखने की इच्छा प्रकट की।

29. अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य चल रही वाद-प्रक्रिया को समाप्त करना था। द्वितीय चरण की वाद-प्रक्रिया में इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में 22 आवेदकों द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए थे, जो अपनी नियुक्ति का दावा कर रहे थे। राज्य को यह सद्भावना-पूर्ण विश्वास था कि यदि इन 22 अभ्यर्थियों, जिन्होंने इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही में स्वयं को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दायर किए थे, को भी समायोजित कर दिया जाए, तो लंबित वाद-प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यही कारण प्रतीत होता है कि राज्य के माननीय महाधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि पिछले सात वर्षों से

सेवा कर रहे 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों के साथ-साथ इन 22 अभ्यर्थियों को भी पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर समायोजित किया जा सकता है। राज्य के माननीय महाधिवक्ता के उक्त कथन को अभिलेखित करने के पश्चात लंबित सिविल अपील में किसी विधिक प्रश्न के परीक्षण की आवश्यकता शेष नहीं रही और इस न्यायालय ने दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश द्वारा अपील का निस्तारण कर दिया।

30. यह सत्य है कि सामान्यतः खुली चयन प्रक्रिया में नियुक्तियाँ प्रासंगिक वैधानिक भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कठोरता से मेरिट क्रम के आधार पर की जानी चाहिए। तथापि यदि किसी असाधारण परिस्थिति में मेरिट सूची से विचलित होकर नियुक्तियाँ की जाती हैं, जो सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है, परंतु अप्रत्याशित परिस्थितियों में राज्य द्वारा सद्भावना से पिछले आठ वर्षों से लंबित वाद-प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसी रियायत दी जाती है कि लंबे समय से वाद-प्रक्रिया में संलग्न इन 22 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाए, और राज्य की कार्रवाई में किसी दुर्भावना या पक्षपात का आरोप भी न हो, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो अपने विवाद को लेकर इस न्यायालय तक पहुँचे थे।

31. अपीलकर्ताओं के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तथा लिखित प्रस्तुतियों में यह भी दर्शाया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें भी नियुक्ति हेतु विचार से वंचित रखा गया। किंतु यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि वाद-प्रक्रिया के प्रथम चरण में माननीय एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विवाद केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने दिनांक 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित चयन प्रक्रिया में 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इन परिस्थितियों में यदि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 50

या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे और फिर भी नियुक्ति हेतु विचार से वंचित रह गए थे, तो उनका अधिकार उस समय उत्पन्न हुआ था जब माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को निर्णय दिया गया था, जिसे बाद में प्रथम चरण की वाद-प्रक्रिया में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2002 के निर्णय एवं आदेश से संशोधित किया गया। तथापि तथाकथित अपीलकर्ताओं/अभ्यर्थियों में से किसी ने भी, जिन्होंने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, बाद के चरण में नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि केवल 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों ने ही 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। यदि वर्तमान अपीलकर्ता, जैसा कि वे दावा करते हैं, 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में थे, तो भी यदि वे उन 47 बेदख़ल अभ्यर्थियों में सम्मिलित नहीं थे, तो विलंबित चरण में कोई शिकायत उठाना स्वीकार्य नहीं है और उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

32. अपीलकर्ताओं के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिन 22 अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने आपत्ति उठाई है, उनकी नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई है, जो कि इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश से परिलक्षित नहीं होता। हमें इस तर्क में पर्याप्त बल प्रतीत होता है और हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस न्यायालय का दिनांक 10 मई, 2007 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया था। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि वह राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा की गई रियायत के आधार पर पारित किया गया था, जिसे इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 मई, 2007 में अभिलेखित किया था।

33. अपीलकर्ताओं के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा क
यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे उन 22 अभ्यर्थियों की तुलना
में मेरिट क्रम में उच्च स्थान पर हैं, जिन्हें द्वितीय उत्तरदाता
ने इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश का
आश्रय लेकर नियुक्त किया था। यह तर्क विधिक दृष्टि से ख
स्वीकार्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
भी नहीं है। प्रथम दृष्टया यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है,
किन्तु इसका कोई ठोस आधार नहीं है। सामान्यतः नियुक्तियाँ
प्रासंगिक वैधानिक भर्ती नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ग
द्वारा तैयार की गई चयन सूची के मेरिट क्रम में ही की जानी
चाहिए और इसके विपरीत की गई कोई भी नियुक्ति संविधान
के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी। तथापि यदि असाधारण
परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार मेरिट सूची से
विचलित होकर नियुक्तियाँ की जाती हैं, जैसा कि वर्तमान घ
मामले में चल रही वाद-प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य
से किया गया, तो सिद्धांततः उन्हें इस न्यायालय द्वारा
अनुमोदित नहीं किया जा सकता। ऐसी नियुक्तियाँ अनियमित
नियुक्तियाँ हैं, परंतु उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे
के अनुसार अवैध नियुक्तियाँ नहीं कहा जा सकता।

ङ

34. यह भी अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है कि वे
दिनांक 25 फरवरी, 1999 के विज्ञापन के संदर्भ में द्वितीय
उत्तरदाता द्वारा प्रकाशित मेरिट सूची में नियुक्ति की प्रतीक्षा
कर रहे शीर्ष 22 अभ्यर्थियों में सम्मिलित हैं। यदि उनके तर्क च
को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी वर्तमान
अपीलकर्ता उन 22 अभ्यर्थियों से आगे नहीं बढ़ सकते जो
मेरिट क्रम में प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिन्हें सामान्य
परिस्थितियों में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति का
दावा प्राप्त हो सकता है। राज्य द्वारा दी गई रियायत, जिसे छ
इस न्यायालय के दिनांक 10 मई, 2007 के आदेश में
अभिलेखित किया गया है, यदि त्रुटि भी मानी जाए, तो भी
किसी कथित रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा उस त्रुटि को आगे
बनाए रखने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। ज

35. इस न्यायालय ने *भारत संघ और अन्य बनाम कार्तिक चंद्र मंडल और अन्य*[5] में यह अवलोकन किया कि यदि कोई कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया है या उस पर त्रुटिवश अमल किया गया है, तो वह आगे की अवैधता को बनाए रखने का आधार नहीं बन सकता। यदि कोई नियुक्ति अवैध या अनियमित रूप से की गई है, तो वह आगे की नियुक्ति का आधार नहीं बन सकती और किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय को जनहित या समाज के किसी बड़े वर्ग के हितों के प्रतिकूल आगे की त्रुटि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यही इस न्यायालय का निरंतर दृष्टिकोण रहा है।

36. *अरुप दास और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य*[6] में इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि *"भले ही कुछ मामलों में नियुक्तियाँ भूलवश या गलत ढंग से की गई हों, उससे किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता और यदि राज्य ने कोई त्रुटि की है, तो उसे उस त्रुटि को आगे बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।"*

37. यह निर्विवाद है कि जब तक यह मामला हमारे समक्ष निर्णय के लिए आया, तब तक वे 22 अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध वर्तमान अपीलकर्ताओं ने विवाद उठाया है, लगभग 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा कर चुके थे और इस प्रकार उन्होंने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2001 में जारी विज्ञापन के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक के पद हेतु बाद में एक और चयन प्रक्रिया भी आयोजित की गई थी। राज्य के माननीय महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 10 मई, 2007 को इस न्यायालय के समक्ष दिया गया कथन भी उस समय सद्भावना से किया गया प्रतीत

---

[5] *भारत संघ एवं अन्य बनाम कार्तिक चन्द्र मोंडल एवं अन्य (2010) 2 एस.सी.सी. 422*

[6] *अरूप दास एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य (2012) 5 एस.सी.सी. 559*

होता है, जिससे कि लंबे समय से न्यायालयों में लंबित वाद- क
प्रक्रिया का अंत किया जा सके। उस समय न्यायालयों में कोई अन्य वाद लंबित नहीं था। इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपीलों के इस समूह में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति के
आधार पर इन 22 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने ख
के लिए यह न्यायालय इच्छुक नहीं है।

38. *गुजरात राज्य उप कार्यपालक अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य*[7] में, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि "प्रतीक्षा सूची" के आधार पर की गई नियुक्तियाँ विधि के ग
अनुरूप नहीं थीं। तथापि, सेवा की अवधि (पाँच वर्ष या उससे अधिक) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उन नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया।

39. *बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अभाही कुमार*[8] में, इस
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि यद्यपि नियुक्तियाँ घ
अनुचित थीं, फिर भी न्यायालय ने उन्हें निरस्त नहीं किया, क्योंकि पदधारियों ने कई वर्षों तक कार्य किया था और पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। न्यायालय ने कहा–
"हमने उन चयनित अभ्यर्थियों के प्रति समतामूलक विचारों का
विस्तार किया है जिन्होंने लंबे समय तक उस पद पर कार्य ङ
किया है।"

40. हम भी इस मत के हैं कि द्वितीय उत्तरदाता द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2008 तथा 11 मार्च, 2008 के
आदेशों द्वारा किए गए 22 अभ्यर्थियों के नियुक्तियाँ, जिनसे च
आगे वाद-प्रक्रिया उत्पन्न हुई, अनियमित नियुक्तियाँ हैं और भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं हैं। तथापि यदि अपीलकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए, तो इससे राज्य-उत्तरदाता द्वारा की गई अवैधता को और आगे बढ़ाया जाएगा और संविधान के
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नकारात्मक समानता का दावा कर छ

---

[7] *गुजरात राज्य उप कार्यपालक अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य (1994) परिशिष्ट 2 एस.सी.सी. 591*

[8] *बुद्धि नाथ चौधरी बनाम अभाही कुमार (2001) 3 एस.सी.सी. 328*

ज

क आगे की अवैधता को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

41. निष्कर्षतः, हम उच्च न्यायालय की इस तर्कणा को स्वीकार नहीं करते कि इन 22 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ
ख संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने के लिए की गई थीं। तथापि, इस विषय पर हमारे द्वारा विस्तृत विचार के पश्चात भी हम उन 22 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, जिनके विरुद्ध वर्तमान अपीलों के इस समूह में अपीलकर्ताओं ने आपत्ति उठाई है।
ग

42. परिणामस्वरूप, हमें वर्तमान अपीलों में कोई बल नहीं मिलता और अतः इन्हें निरस्त किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

घ 43. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

अंकित ज्ञान — अपीलें निरस्त।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।